गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
विकास पथ, गाजियाबाद।

आदेशः–

पूर्व में जारी आदेश दिनांक– 6.7.13 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मै0 एग्जॉटिका डवलपर्स को 15 दिनों के अन्तर्गत कॉमन एरिया एवं फैसिलिटीज को एग्जॉटिका एलीगेंश अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन हस्तान्तरित करना तथा डिक्लीयरेशन एवं सम्पूर्णता प्रमाण आवेदन की प्रति इस कार्यालय में जमा कराने हेतु आदेशित किया गया था, जो कि आज तक पूर्ण नहीं कराया गया है।

उपरोक्त वर्णित आदेश को पूरा न करते हुए एग्जॉक्टिका डवलपर्स द्वारा नई चार्जेज लागू की गई है, जो कि गलत है।

एतद्द्वारा मै0 एग्जॉटिका डवलपर्स को आदेशित किया जाता है कि एग्जॉटिका एलीगेंश अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन से उनके पत्र दिनांक– 04.9.13 एवं 24.8.13 में उल्लिखित बिन्दुओं पर विचार विमर्श एवं सहमति करते हुए इस आशय की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को दिनांक– 10.9.13 तक अवश्य उपलब्ध करायें तथा सहमति होने तक नई दरों को लागू न किया जाए तथा दिनांक– 01.8.13 के पुराने दरों पर ही बिलिंग की जाए। यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी हालत में आवंटियों को रिचार्ज कूपन देने से मना ना किया जाए तथा उनको बिजली सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

अतः प्रमोटर को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्त आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांक– 10.9.13 तक आवश्यक रूप से कार्यवाही करते हुए अधोहस्ताक्षरी को लिखित में अवगत करायें अन्यथा आपके विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाएगी।

भवदीय,

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
पी0सी0एस0
विशेषाधिकारी

पृष्ठांकन सं0– 534 (iii)/ नि0प्रको0अनु0/13 दिनांक– 4/9/13

प्रतिलिपि,

1. प्रैसीडेंट, एग्जॉटिका एलीगेंश अपार्टमेंट आनर्स एसोसिएशन को सूचनार्थ।
2. मै0 एग्जॉटिका डवलपर्स को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. श्री आलोक कुमार, प्रैसीडेंट, फेडरेशन ऑफ ए0ओ0ए0, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

4/9

(धर्मेन्द्र प्रताप सिंह)
विशेषाधिकारी